आरबीई सं. 116/2019
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 80

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/6 **नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2019**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी ज़ोनल रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

मुख्य चिकित्सा निदेशक
सभी क्षेत्रीय रेलें.

विषय : दिव्यांग रेल सेवकों के लिए संशोधित पास सुविधाएं।

माननीय न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के निर्देशों के अनुपालन में मौजूदा रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) (आरएसपीआर-1986) के अंतर्गत दिव्यांग रेल सेवकों को दी जाने वाली पास सुविधाओं के प्रावधानों की समीक्षा की गई है। आरएसपीआर-1986 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (आरपीडब्ल्यूडीए-2016) तथा दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 (आरपीडब्ल्यूडीआर-2017) में दिए गए प्रावधानों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी ने आरएसपीआर-1986 के मौजूदा प्रावधानों को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 80 के अनुसार संशोधित करने का अनुमोदन दिया है।

2. पास पर दिव्यांगता का वर्णन दर्शाने की आवश्यकता को हटाने के लिए आरएसपीआर-1986 में नई परिभाषाएं शामिल की गई हैं। तदनुसार, "पीडब्ल्यूडी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पक्ष में आरपीडब्ल्यूडीआर-2017 के अध्याय-7 के अनुसार "दिव्यांगता प्रमाणपत्र" (सीओडी) जारी किया गया हो जिसमें दिव्यांगता का विवरण हो। अत: मौजूदा आरएसपीआर-1986 एवं अभी तक जारी किए गए स्पष्टीकरणों/प्रशासनिक अनुदेशों में वर्णित दिव्यांगता को "पीडब्ल्यूडी" पढ़ा जाए तथा प्रतिस्थापित किया जाए। पास जारी करने वाले प्राधिकारी पास पर दिव्यांगता के वर्णन के बदले, जहां आवश्यक हो, केवल "पीडब्ल्यूडी" ही लिखें।

2.1 यह नोट किया जाए कि आरपीडब्ल्यूडीआर-2017 के अध्याय-7 के नियम 20 के अनुसार मौजूदा सीओडी उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक स्वीकार्य होंगे। तदनुसार, पास जारी करने वाले प्राधिकारी नए सीओडी की मांग किए बिना किसी भी फॉर्मेट में उपलब्ध मौजूदा सीओडी को उसकी वैधता की अवधि समाप्त होने तक स्वीकार करेंगे।

2.2 सभी प्रवर्ग के रेल सेवक जो दिव्यांग हैं तथा जिन्हें चिकित्सक की राय में रेल यात्रा के दौरान सहायता की आवश्यकता है वह रेलवे अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद मंडल चिकित्सा अधिकारी से कम न हो, द्वारा जारी किए गए "सहचर आवश्यकता प्रमाण पत्र"(सीआरसी) के आधार पर अपने पास में एक सहचर (अर्थात, रेल सेवक द्वारा चुना गया कोई भी व्यक्ति) का नाम शामिल करा सकते हैं। नए नियम 4(3) में ड्यूटी पास सहित सभी प्रकार के पासों पर सहचर सुविधा को शासित करने वाली शर्तें निर्धारित की गई हैं। बहरहाल, दोनों आंखों में दृष्टिदोष वाले व्यक्तियों के मामले में सहचर की सुविधा उसके पक्ष में सीआरसी जारी किए जाने तक मौजूदा सीओडी के आधार पर ही दी जाती रहेंगी।

2.3 इसके अतिरिक्त, समूह 'ग' के रेल सेवक जिनके पास सीआरसी है तथा जो द्वितीय/शयनयान श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी 'ए' सुविधा पास के पात्र हैं उनके अनुरोध पर आरएसपीआर-1986 की अनुसूची-II में दिए गए सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश से संबंधित सामान्य नियमों की मद सं. 3 (xxv)(1) के अधीन नियत शर्तों के अध्याधीन उन्हें उच्चतर श्रेणी पास (अर्थात प्रथम श्रेणी पास) सहचर के साथ प्रदान किया जाएगा।

2.4 सेवानिवृत्त रेल सेवकों को सेवोत्तर मानार्थ पास उन्हीं शर्तों पर जारी किया जाता है जो उनको रेल सेवा के दौरान लागू होती हैं। तदनुसार, सेवानिवृत्त दिव्यांग रेल सेवकों को सेवोत्तर मानार्थ पास पर सहचर की सुविधा उन्हीं शर्तों पर दी जाएगी जो रेल सेवकों पर सेवा में रहते हुए लागू होती हैं। अत: आरएसपीआर-1986 में शामिल नए नियम 4(3) के अंतर्गत ही सहचर सुविधा शामिल होने से बोर्ड के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)93/पीएस5-1/10 दिनांक 16.12.1993 द्वारा दिव्यांग सेवानिवृत्त रेल सेवकों के साथ सेवोत्तर मानार्थ पास पर मार्गरक्षी को शामिल करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों का अधिक्रमण हो जाता है।

2.5 यह नोट किया जाए कि राजधानी/शताब्दी/दुरंतो एक्सप्रेस प्रकार की गाड़ियों में यात्रा के लिए प्रति पास आधार पर मौजूदा बर्थ प्रतिबंध सहचर सुविधा वाले सभी प्रकार के पासों पर लागू होंगे।

3. आरएसपीआर-1986 में किए गए संशोधनों को देखते हुए रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाइयां अर्हक सेवारत एवं सेवानिवृत्त रेल सेवकों/उनके परिवारजनों/आश्रित नातेदारों जो कि पीडब्ल्यूडी हैं को यात्रा के लिए सहचर की आवश्यकता की जांच एवं मूल्यांकन करेंगे तथा आरएसपीआर-1986 में अनुबंध 'घ-1'/'घ-2' में दिए गए प्रारूप में सीआरसी जारी करेंगे। यह नोट किया जाए कि सीआरसी 'आकलन बोर्ड', जिसमें एक से अधिक चिकित्सा अधिकारी होंगे जो रेलवे अस्पताल के मंडल चिकित्सा अधिकारी की रैंक से कम के नहीं होंगे और उनमें कम से कम एक सदस्य 'दिव्यांगता प्रमाण पत्र' में वर्णित दिव्यांगता के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, के आंकलन के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 'आकलन बोर्ड' की सिफारिश अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा निदेशक, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत की जाएगी। बहरहाल, सीआरसी संबंधित रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा निदेशक द्वारा नामित किए गए मंडल चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे ऊपर के स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

4. आरएसपीआर -1986 के नियम 2 (ग) (vii) के अंतर्गत "आश्रित नातेदार" की परिभाषा के नीचे समय-समय पर यथा संशोधित आश्रितता मानदंड, जहां भी आवश्यक हो, आश्रितता निर्धारित करने के लिए लागू होगा।

5. यह स्वास्थ्य निदेशालय के परामर्श और रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन

(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

संलग्न : यथोक्त

सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/6 **नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2019**

प्रतिलिपि प्रेषित :

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

जी. प्रिया सुदर्सनी

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/6 **नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2019**

प्रतिलिपि :

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य, एवं सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, समूह "क" अधिकारी संघ, कमरा सं. 402, रेल भवन।
7. सचिव आरबीएसएस, समूह "ख" अधिकारी संघ।
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलेवे बोड पदोन्नत अधिकारी संघ, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी IV कर्मचारी संघ।
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ संघ, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेल सेवकसंघ, कमरा सं. 7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. महसचिव, अखिल भारतीय ओ.बी.सी. रेल सेवक फेडरेशन (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा सं. 48, रेल भवन।

कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :

1.	कार्यकारी निदेशक/स्वास्थ्य (सा) रेलवे बोर्ड	:	सूचना और भारतीय रेलवे के रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाईयों को उपयुक्त निर्देश के लिए।
2.	कम्पयूटर सेल/सीएन्डआईएस रेलवे बोर्ड	:	सभी संबंधितों के सूचनार्थ, रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोडिग के लिए।
3.	निदेशक(जीए) रेलवे बोर्ड		
4.	मानक सूची के अनुसार		

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 80

(I) **मुख्य नियमों में शामिल की जाने वाली नई परिभाषाएं :**

नियम 2(ख 1) :

'दिव्यांगता प्रमाण पत्र' (इसके बाद इसे सीओडी कहा जाएगा) का अर्थ है दिव्यांगता के समर्थन में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016' के खंड 100(1) एवं (2) के अंतर्गत बनाए गए 'दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017' के अध्याय-VII के अनुसार विधिवत जारी किया गया प्रमाणपत्र।

नियम 2(ख 2) :

"सहचर" रेल सेवक द्वारा चुना गया कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पास धारक की रेल यात्रा के दौरान सहायता के लिए साथ रहे।

नियम 2(ख 3) :

"सहचर आवश्यकता प्रमाण पत्र" (इसके बाद इसे सीआरसी कहा जाएगा) का अर्थ है चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद रेलवे अस्पताल में मंडल चिकित्सा अधिकारी से कम न हो, द्वारा विधिवत जारी किया गया प्रमाणपत्र।

नियम 2(च 1) :

'दिव्यांग' (इसके बाद इसे पीडब्ल्यूडी कहा जाएगा) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में सीओडी जारी किया गया हो।

(II) **मुख्य नियमों में शामिल किए जाने वाले नए नियम :**

नियम 4(3) :

(i) यदि उप नियम (1) के खंड (i),(ii),(iv) एवं (vii) में विनिर्दिष्ट पास दिव्यांग रेल सेवक को जारी किए जाने हैं तब अनुबंध 'घ-1' में यथानिर्धारित प्रारूप में रेल सेवक के पक्ष में जारी सीआरसी के आधार पर परिवार के अन्य पात्र सदस्यों/आश्रित नातेदारों के साथ-साथ एक 'सहचर' शामिल किया जा सकता है।

(ii) यदि उप नियम (1) के खंड (ii),(iv) एवं (v) में विनिर्दिष्ट पास केवल परिवार के पात्र सदस्यों/आश्रित नातेदार जो दिव्यांग हैं को जारी किए जाने हैं तब जिस व्यक्ति के नाम पर पास जारी किया जाना है उसके पक्ष में अनुबंध 'घ-2' में यथानिर्धारित प्रारूप में जारी सीआरसी के आधार पर 'सहचर' शामिल किया जा सकता है। ऐसे पासों में परिवार का कोई अन्य वयस्क व्यक्ति/आश्रित नातेदार शामिल नहीं किया जाएगा। बहरहाल, ऐसे पासों में नाबालिग बच्चों (जैसा कि अनुसूची-II के सामान्य नियमों की मद सं. 3 (xvii)(क) में परिभाषित किया गया है) को शामिल किया जा सकता है।

(iii) पास में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होने पर भी केवल एक ही 'सहचर' की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल, व्हील चेयर वाले दिव्यांगजनों के मामले में प्रत्येक व्हील चेयर वाले दिव्यांग के साथ अलग-अलग सहचर की अनुमति दी जाएगी।

(iv) जहां भी दिव्यांग के साथ 'सहचर' है वहां 'परिचर' [जैसा नियम 2(ख) में परिभाषित किया गया है] की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहरहाल, चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पासों पर परिचर/परिचरों की अनुमति दी जा सकती है।

(v) प्रथम श्रेणी/प्रथम श्रेणी 'ए' पास धारक, जो दिव्यांग हैं, सहचर अथवा परिचर सुविधा में से किसी भी एक सुविधा को चुन सकते हैं।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/6, दिनांक 19.07.2019)

(III) मुख्य नियमों में प्रतिस्थापित किए जाने वाले संशोधन :

नियम 2 (ग) (iv) : किसी भी उम्र का भाई, बशर्ते कि वह दिव्यांग हो।
नियम 2(घ)(iii)(घ) : दिव्यांग, बशर्ते कि वह रेल सेवक पर आश्रित हो।

(IV) अनुसूचियों में हटाए/प्रतिस्थापित किए जाने वाले प्रावधान :

अनुसूची-II के सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत मद सं. 1	हटा दिया गया
अनुसूची-II के सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत मद सं. 3(iii)	हटा दिया गया
अनुसूची-II के सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत मद सं. 3(xxv)(1)	द्वितीय/शयनयान श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी 'ए' सुविधा पास के हकदार समूह 'ग' के रेल सेवक को सीआरसी के आधार पर सुविधा पासों की उनकी कुल पात्रता के बदले सहचर के साथ एक सेट उच्चतर श्रेणी पास अर्थात प्रथम श्रेणी पास प्रदान किया जा सकता है। यदि रेल सेवक एक वर्ष में तीन पासों का पात्र है तो भी उच्चतर श्रेणी में पास की संख्या साल में केवल एक ही सेट होगी। जहां रेल सेवक की सुविधा पास की पात्रता 3 सेटों से कम हो लेकिन 1 सेट से कम न हो, उस स्थिति में भी सहचर के साथ उच्चतर श्रेणी पास की सुविधा दी जाएगी।
अनुसूची-II के सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत मद सं. 3(xxv)(2)	हटा दिया गया
अनुसूची-II के सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत मद सं. 3(xxv)(3)	हटा दिया गया
अनुसूची-II के सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत मद सं. 3(xxv)(3) के अंतर्गत परंतुक	हटा दिया गया
अनुसूची-II के सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत मद सं. 3(xxvi)	दिव्यांग रेल सेवक सीआरसी के आधार पर अपने सुविधा पास पर अनुमेय मुफ्त सामान के अंतर्गत तिपहिया साईकिल/व्हील चेयर ले जा सकते हैं। इसके लिए पास पर आवश्यक पृष्ठांकन किया जाए।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/6, दिनांक 19.07.2019)

अनुसूची-III के कॉलम सं.2 के अंतर्गत मद सं. (iii)	(i) 18 वर्ष से कम की आयु के छात्र पुत्र एवं किसी भी आयु की छात्र पुत्री के मामले में माता-पिता या संरक्षक को पास में शामिल किया जा सकता है। (ii) दिव्यांग छात्र पुत्र के मामले में सीआरसी के आधार पर 18 वर्ष की आयु के बाद भी सहचर को स्कूल पास में शामिल किया जा सकता है।
अनुसूची-IV के कॉलम सं.3 के अंतर्गत मद सं. (vii)	हटा दिया गया
अनुसूची-IV के कॉलम सं.3 के अंतर्गत मद सं (xiv) की मद सं 3 के नीचे का अंतिम पैरा	जब 65 वर्ष से अधिक आयु का पास धारक और/अथवा पास धारक के परिवार का 65 वर्ष से अधिक आयु का/के पात्र सदस्य किसी भी आयु के ऐसे पुत्र अथवा पुत्री, जो दिव्यांग हों और नियमानुसार सेवोत्तर मानार्थ पास में शामिल किए जाने के पात्र हों, के साथ यात्रा कर रहा हो/रहे हों तब परिचर के बदले सहचर की अनुमति दी जा सकती है ।
अनुसूची-VI के कॉलम सं. 3 के नीचे टिप्पणी	टिप्पणी : (i) आवासीय कार्ड पास में परिचर की अनुमति नहीं है। (ii) सीआरसी के आधार पर द्वितीय/द्वितीय श्रेणी 'ए' पास के हकदार दिव्यांग रेल सेवकों को प्रथम श्रेणी आरसीपी जारी किया जा सकता है।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/6, दिनांक 19.07.2019)

अनुलग्नक 'घ-1' [नियम 4(3)(i) तथा (iii) देखें] *

सहचर आवश्यकता प्रमाणपत्र (सीआरसी)

(रेल सेवक के लिए)

प्रमाणपत्र सं. _____

फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कु._____ जो _____ (पदनाम तथा रेलवे) के रुप में सेवारत हैं/सेवा कर चुके हैं एवं दिनांक_____ के दिव्यांगता प्रमाणपत्र सं._____ के धारक हैं और जिनका फोटोग्राफ ऊपर चिपकाया हुआ है का गहनता से परीक्षण किया है और यह पाया है कि वह बिना सहचर की सहायता के रेल यात्रा नहीं कर सकता/सकती है।

अथवा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कु._____ जो _____ (पदनाम तथा रेलवे) के रुप में सेवारत हैं/सेवा कर चुके हैं एवं दिनांक_____ के दिव्यांगता प्रमाणपत्र सं._____ के धारक हैं और जिनका फोटोग्राफ ऊपर चिपकाया हुआ है का गहनता से परीक्षण किया है और यह पाया है कि वह बिना सहचर की सहायता के रेल यात्रा नहीं कर सकता/सकती है और चलने-फिरने के लिए भी पूर्ण रुप से व्हील चेयर पर निर्भर हैं।

2. यह प्रमाणपत्र संपूर्ण जीवन काल के लिए मान्य है। (स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में)

या

यह प्रमाणपत्र_____तक के लिए मान्य है। (अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में)

हस्ताक्षरः _____

नामः_____

पदनामः_____

(जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर अवश्य लगायी जाए)

दिनांकः_____

नोटः-

(i) यह प्रमाणपत्र उस चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाए जो रेलवे अस्पताल में मंडल चिकित्सा अधिकारी के स्तर से कम का न हो।

(ii) जो भाग लागू न हो उसे काट दिया जाए

*** रेल सेवक (पास) नियम का नियम4(3)(i):**

यदि उप नियम (1) के खंड (i), (ii), (iv) एवं (vii) में विनिर्दिष्ट पास दिव्यांग रेल सेवक को जारी किए जाने हैं तब अनुबंध 'घ-1' में यथानिर्धारित प्रारूप में रेल सेवक के पक्ष में जारी सीआरसी के आधार पर परिवार के अन्य पात्र सदस्यों/आश्रित नातेदारों के साथ-साथ एक 'सहचर' शामिल किया जा सकता है।

*** रेल सेवक (पास) नियम का नियम4(3)(iii):**

पास में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होने पर भी केवल एक ही 'सहचर' की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल, व्हील चेयर वाले दिव्यांगजनों के मामले में प्रत्येक व्हील चेयर वाले दिव्यांग के साथ अलग-अलग सहचर की अनुमति दी जाएगी।

अनुलग्नक 'घ-2' [नियम 4(3)(ii) तथा (iii) देखें] *

सहचर आवश्यकता प्रमाणपत्र(सीआरसी)

(पास के लिए पात्र परिवार के सदस्य/आश्रित संबंधियों के लिए लागू)

प्रमाणपत्र सं._____

फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कु._____ जो दिनांक_____ के दिव्यांगता प्रमाणपत्र सं._____के धारक हैं और जिनका फोटोग्राफ ऊपर चिपकाया हुआ है का गहनता से परीक्षण किया है और यह पाया है कि वह बिना सहचर की सहायता के रेल यात्रा नहीं कर सकता/सकती है। वह श्री/श्रीमती/कु. _____, जो_____ (पदनाम तथा रेलवे) के रुप में सेवारत हैं/सेवा कर चुके हैं, के_____(संबंध को दर्शाएं अर्थात पति-पत्नी/पुत्र/पुत्री, इत्यादि) हैं।

अथवा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कु._____ जो दिनांक_____ के दिव्यांगता प्रमाणपत्र सं._____ के धारक हैं और जिनका फोटोग्राफ ऊपर चिपकाया हुआ है का गहनता से परीक्षण किया है और यह पाया है कि वह बिना सहचर की सहायता के रेल यात्रा नहीं कर सकता/सकती है और चलने-फिरने के लिए भी पूर्ण रुप से व्हील चेयर पर निर्भर हैं। वह श्री/श्रीमती/कु. _____ जो_____ (पदनाम तथा रेलवे) के रुप में सेवारत हैं/सेवा कर चुके हैं के_____(संबंध को दर्शाएं अर्थात पति-पत्नी/पुत्र/पुत्री, इत्यादि) हैं।

2. यह प्रमाणपत्र संपूर्ण जीवन काल के लिए मान्य है (स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में)।

या

यह प्रमाणपत्र_____तक के लिए मान्य है।(अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में)

हस्ताक्षरः _____

नामः_____

पदनामः_____

(जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर अवश्य लगायी जाए)

दिनांकः_____

नोटः-

(i) यह प्रमाणपत्र उस चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाए जो रेलवे अस्पताल में मंडल चिकित्सा अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो।

(ii) जो भाग लागू न हो उसे काट दिया जाए

*** रेल सेवक (पास) नियम का नियम4(3)(ii):**

यदि उप नियम (1) के खंड (ii),(iv) एवं (v) में विनिर्दिष्ट पास केवल परिवार के पात्र सदस्यों/आश्रित नातेदार जो दिव्यांग हैं को जारी किए जाने हैं तब जिस व्यक्ति के नाम पर पास जारी किया जाना है उसके पक्ष में अनुबंध 'घ-2' में यथानिर्धारित प्रारूप में जारी सीआरसी के आधार पर 'सहचर' शामिल किया जा सकता है। ऐसे पासों में परिवार का कोई अन्य वयस्क व्यक्ति/आश्रित नातेदार शामिल नहीं किया जाएगा। बहरहाल, ऐसे पासों में नाबालिग बच्चों (जैसा कि अनुसूची-II के सामान्य नियमों की मद सं. 3 (xvii)(क) में परिभाषित किया गया है) को शामिल किया जा सकता है।

*** रेल सेवक (पास) नियम का नियम4(3)(iii):**

पास में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होने पर भी केवल एक ही 'सहचर' की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल, व्हील चेयर वाले दिव्यांगजनों के मामले में प्रत्येक व्हील चेयर वाले दिव्यांग के साथ अलग-अलग सहचर की अनुमति दी जाएगी।